जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 18.12.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 18.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.एसकुमार पुत्र तेल्लू निवासी ग्राम टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सचिन कुमार प्रभारी चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2. हे0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

4. का0 दीपक कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 5,300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 2024 में अभियुक्त आमिर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला सरवरपीर बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 569/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 2017 में अभियुक्त सादिक पुत्र कासिम निवासी तुलसी निकेतन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 995/2017 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.वर्ष 2009 में अभियुक्तगण 1.विक्रम सिंह पुत्र सुनेहरा सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली 2.पीतम पुत्र सुनेहरा सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 517/2009 धारा 447 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.वर्ष 2014 में अभियुक्त राशिद पुत्र हषरत निवासी ग्राम खिवाई सरूरपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 531/14 धारा 279/337/338 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.आमिर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला सरवरपीर बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.सादिक पुत्र कासिम निवासी तुलसी निकेतन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
3.विक्रम सिंह पुत्र सुनेहरा सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली।
4.पीतम पुत्र सुनेहरा सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली।
5.राशिद पुत्र हषरत निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।